झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

परिपत्र

विषय –जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं में "वन भूमि" के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ।

विभाग की विभिन्न योजनाओं में कई बार "वन भूमि" के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है । सभी प्रकार की वन भूमि पर वन एवं पर्यावरण विभाग का स्वामित्व है एवं तदनुसार इसकी वैधानिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निर्गत है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की वन भूमि के "गैर वानिकी उपयोग" पर भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 एवं संदर्भित मार्ग निदेश जारी एवं लागू किए गए है । इस अधिनियम के अन्तर्गत मूलतः किसी भी वन भूमि के "गैर वानिकी उपयोग" की अनुमति देने का सम्पूर्ण हक सिर्फ भारत सरकार को ही है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन (संरक्षण) अधिनियम, 2003 एवं उससे संबंधित मार्ग निदेश पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की वेवसाईड **www.envfor.nic.in** पर उपलब्ध हैं । किसी भी प्रकार की वन भूमि का उपयोग करते समय इस अधिनियम एवं संगत नियमावली एवं मार्ग निर्देशो से अवगत हों लें, तदोपरान्त ही नियमानुसार **ससमय** निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें ।

विभाग की किसी भी परियोजना में वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार प्रावधानित प्रपत्र–A (संलग्न) में प्रस्ताव यथा समय संबंधित "वन प्रमण्डल पदाधिकारी" को समर्पित किया जाना चाहिए । तदोपरान्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त इस प्रस्ताव पर क्रमशः संबंधित "वन संरक्षक", "क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक", "प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड–सह–नोडल पदाधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम", "प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड" एवं "प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड" की अनुशंसा के उपरान्त प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है । इस परिपत्र के साथ प्रपत्र–A एवं प्रपत्र–B

(चालू योजनाओं के नवीकरण हेतु) आपकी जानकारी के लिए संलग्न किया जा रहा है । इस कार्रवाई की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से एक Flow chart भी संलग्न किया जा रहा है ।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में "Catchment Area Treatment" plan भी प्रस्ताव के साथ समर्पित करने की अनिवार्यता है । इस संदर्भ मे भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निदेशों की कंडिका–4.8 में प्रावधान किये गये है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु वन भूमि के उपयोग के संदर्भ में Loss Benefit Analysis की जानी आवश्यक है । इस Loss Benefit Analysis हेतु जिन Parameters पर विचार किया जाना है उनका उल्लेख भी भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका में है । उहाहरणस्वरुप Loss एवं Benefit से संबंधित विचारणीय Parameters की सूची इस परिपत्र के साथ संलग्न है **(अनु०–1)**।

यह आवश्यक है कि आप (User Agency) के द्वारा अपने प्रस्ताव को हर स्तर पर follow up किया जाये । इस हेतु संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर समर्पित किये जानेवाले प्रस्ताव के प्रारुप पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अनौपचारिक रुप से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रारुप पर उनकी अनौपचारिक सहमति प्राप्त कर ही प्रस्ताव समर्पित किया जाए । इस प्रकार वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बार–बार पृच्छा प्राप्त होने की प्रवृत्ति से बचा जा सकेगा एवं समय की बचत होगी । उसके उपरान्त सभी स्तरों यथा–वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड–सह–नोडल पदाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर प्रस्ताव को Follow up करें एवं निजी सम्पर्क स्थापित कर प्रस्ताव को दो माह के अन्दर वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया जाय । प्रस्ताव, वन एवं पर्यावरण विभाग में, अनुशंसा सहित पहुँचने पर मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग)/अभियंता प्रमुख/ विशेष सचिव को सूचित किया जाए, जिससे कि सचिवालय स्तर से वन एवं पर्यावरण विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भिजवाया जा सके ।

प्रस्ताव समर्पित करने के उपरान्त भारत सरकार से Stage-1 (in-principle) clearance प्राप्त होता है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजना होता है । Stage-1 की शर्त्तो का अनुपालन जल्द से जल्द (यथा सम्भव एक माह) में पूर्ण करने के उपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पुनः वन

प्रमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से सभी स्तरों की अनुशंसा के उपरान्त वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाता है । उसके उपरान्त ही भारत सरकार से अन्तिम (Stage-2) clearance प्राप्त होती है ।

यहाँ यह भी सूचित करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस अधिनियम की धारा 3(A) एवं 3(B) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति एवं सरकारी अधिकारी को इस अधिनियम का उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर 15 दिनों के कारावास की सजा का प्रावधान है ।

अनुरोध है कि विभाग के प्रासंगिक सभी योजनाओं में उपरोक्त अधिनियम एवं संगत मार्ग निदेशों के अनुरुप, **परन्तु यथा समय,** कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

ह०/–

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1/पी०एम०सी०/विविध–59/2003– /राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता (योजना एवं मोनिटरिंग सम्प्रति उड़नदस्ता) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०–यथोक्त ।

ह०/–

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1/पी०एम०सी०/विविध–59/2003– /राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०–यथोक्त ।

ह०/–

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1/पी०एम०सी०/विविध–59/2003– /राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग /विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु०–यथोक्त ।

ह०/–

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1 / पी॰एम॰सी॰ / विविध–59 / 2003– / राँची, दिनांक.................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रॉची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यपालक निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड–सह–नोडल पदाधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम को सूचनार्थ प्रेषित ।

आपसे अनुरोध है कि वन विभाग के संबंधित सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को अपने स्तर से निदेश देना चाहेंगे कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर वे इस विषय पर वांछित सहयोग प्रदान करें ।

ह० / –

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1 / पी॰एम॰सी॰ / विविध–59 / 2003– / राँची, दिनांक.................

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनु॰–यथोक्त ।

ह० / –

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

परिपत्र संख्या–1 / पी॰एम॰सी॰ / विविध–59 / 2003–1250 / राँची, दिनांक 7/11/12

प्रतिलिपिः– Web Manager, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची । कृपया परिपत्र को वेवसाईट पर उपलब्ध करायें ।

अनु॰–यथोक्त ।

06/11/12

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

roy/draft/1-pmc-vividh-59-2003

FLOW CHART

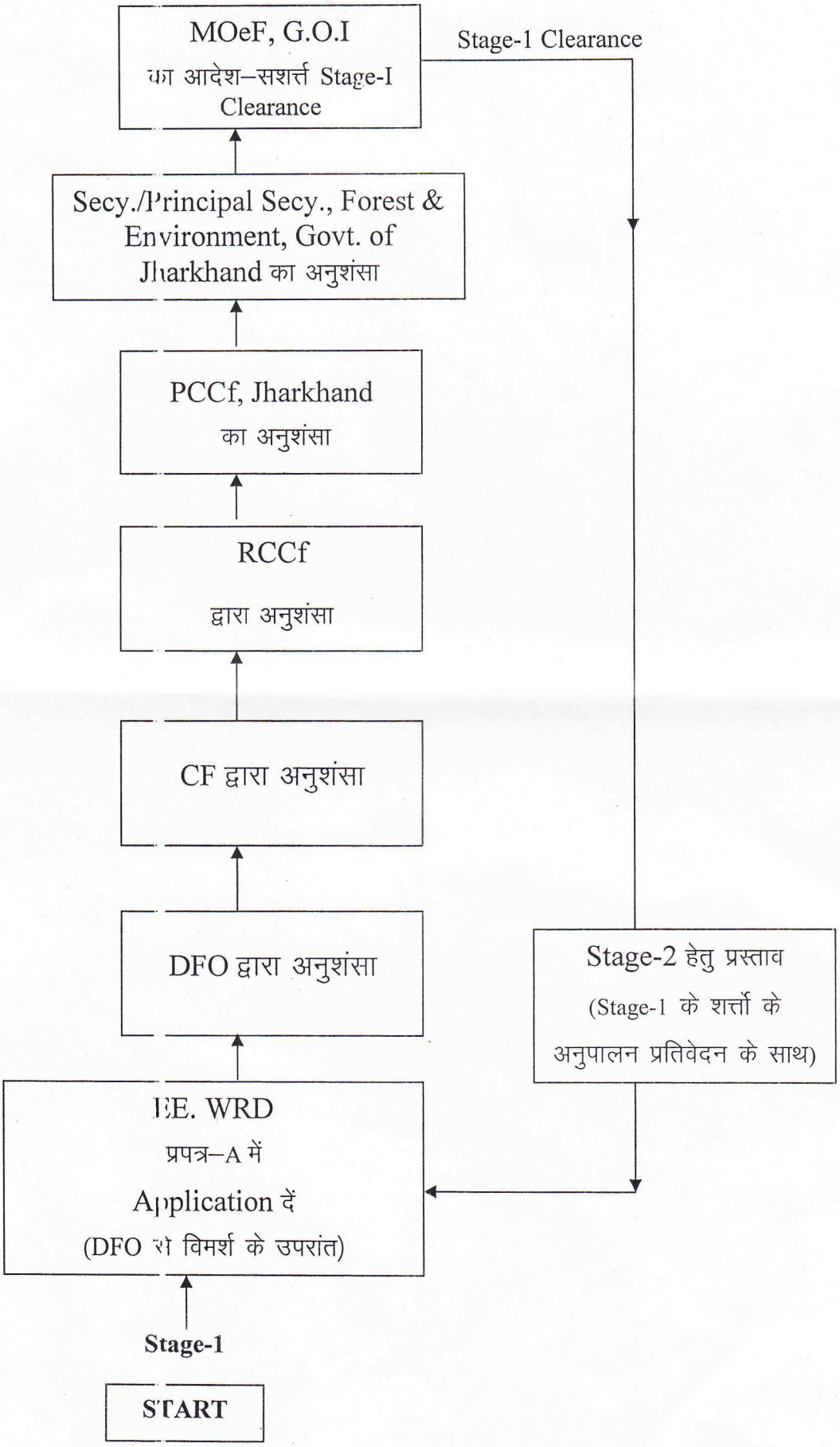

वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया का **Flow Chart**

(अनु-1)

ANNEXURE-VI (b)

PARAMETERS FOR EVALUATION OF LOSS OF FORESTS

Sl. No	Parameters	Roads, Tr. Lines & Railway lines	Minor irrigation projects, quarrying of stones/ metals	Medium & major irrigation, hydro electric, large mining & other misc. projects.
1.	Loss of value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man-hours per annum of people who derived livelihood and wages from the harvest of these commodities.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.
2.	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder	-do-	-do-	-do-
3.	Cost of human resettlement	-do-	-do-	-do-
4.	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railways etc.) on forest land, or which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	-do-	-do-	-do-
5.	Environmental losses: (soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance).	Though technical judgement would be primarily applied in determining the losses, as a thumb rule the environmental value of one hectare of fully stocked forest (density 1.0) would be taken as Rs. 126.74 lakhs* to accrue over a period of 50 years. The value will reduce with density, for example, if density is 0.4, the value will work out at Rs. 50.696 lakhs. So if a project which requires disforestation of 1 hectare of forest of density 0.4 gives monetary returns worth over Rs. 50.696 lakhs over a period of 50 years, may be considered to give a positive cost benefit ratio. The figure of assumed environmental value will change if there is an increase in bank rate; the change will be proportional to percentage increase in the bank rate.		
6.	Suffering to oustees.	The social cost of rehabilitation of an oustee (in addition to the cost likely to be incurred in providing residence, occupation and social services to him) be worked out as 1.5 times of what he should have earned in two years had he been not shifted.		

ANNEXURE-VI (c)

PARAMETERS FOR EVALUATION OF BENEFIT, NOTWITHSTANDING LOSS OF FORESTS

		Nature of Proposal		
Sl. No	**Parameters**	**Roads, Tr. Lines& Railway lines**	**Minor projects**	**Irrigation/hydel projects & Others.**
1.	Increase in productivity attributable to the specific project	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.
2.	Benefits to economy	Value judgement	-do-	-do-
3.	No. of population benefited.	-do-	Value judgement	Value judgement
4.	Employment potential	-do-	-do-	-do-
5.	Cost of acquisition of facility on non-forest land wherever feasible	To be quantified & expressed in monetary terms	To be quantified & expressed in Monetary terms	To be quantified & expressed in monetary terms
6.	Loss of (a) agriculture & (b) animal husbandry production due to diversion of forest land.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.
7.	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	To be quantified & expressed in monetary terms	To be quantified & expressed in monetary terms	To be quantified and expressed in monetary terms
8.	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.	To be quantified & expressed in monetary terms.